फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

ओमप्रकाश बनाम बहादुरसिंह

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्थगन प्रा0 पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
25.11.2019	आज यह प्रा.पत्र सायल के वकील द्वारा मय प्रा0 पत्र 212 आर. टी.एक्ट पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोप्रति जमाबन्दी 2070–2075 पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सूविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.01.2020 तक पाबन्द किया जाता हैं कि विवादित आ.ख. नं0 हाल 161, 252, 376/292, 55 वाके ग्राम चमरवाडा तह0 गोविन्दगढ में गैरसायलान को विवादित आराजी में मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाताहै। उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो।पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब कर दिनांक 14.01.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ अलवर	
14/1/20	[illegible] [illegible] ...4/1/0... [illegible] [illegible] 11/3/20 को पेश हो। [illegible]	
11/3/20	[illegible] यह पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] ने कार्य स्थगित कर रखा हैं। P. O. साहब भ्रमण पर हैं। [illegible] दिनांक 20/4/20 को पेश हो। [illegible]	
20/7/20	[illegible] [illegible] ...कोविड 19... [illegible] [illegible] 10/8 को पेश हो। [illegible]	
10/8/20	[illegible] [illegible] ...कोविड 19... [illegible] [illegible] 5/10/20 को पेश हो। [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)

ओमप्रकाश बनाम बहादुर सिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	21.9.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब ....अन्य.... कार्य में व्यस्त ....है। पत्रावली दिनांक ....19.10.23.... को पेश हो। रीडर
	19.10.23 ....वकील पक्षी.... उपस्थित। सम्बंधित आदेश दिनांक ....25.1.22.... की पालना में पत्रावली वास्ते ....तलबी रजिस्टर्ड डाक से अंतिम मौका.... दिनांक ....07/12/23.... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)
	07.12.23 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो० द्वारा कार्य स्थगित किया है। P.O. साहब ....अन्य.... कार्य में व्यस्त ....है। पत्रावली दिनांक ....28.12.23.... को पेश हो। रीडर
28.12.23	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र -212 RTA का मूल दावा वकील व उनके वादी की अदम हाजिरी -अदम पैरवी में खारिज हो गया है। प्रार्थना पत्र-212 RTA के चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र-212 RTA ~~RTA के चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है~~ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तामील तकमील दफ्तर मूल वाद के संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०